अध्याय II: सूचनाओं का संग्रहण, संकलन और प्रसार

- सीआईबी ने सभी अनिवार्य सोर्स कोड्स और अनुमोदित वैकल्पिक सोर्स कोड्स से सूचना एकत्र नहीं की। एकत्रित सूचना का एक बड़ा भाग बिना पैन के था तथा उसकी कीमत शून्य थी।
- आईटीडी ने अपेक्षित सूचना उपलब्ध न कराने वाले, एआईआर फाईल न करने वाले, एआईआर देर से फाईल करने वाले और एआईआर में अधूरी सूचना देने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की।
- आईटीडी के पास नियम 114बी जिसमें विशिष्ट लेन-देनों से संबंधित दस्तावेजों में पैन का उल्लेख करना अपेक्षित होता है के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
- सीआईबी ने सूचनाऐं एकत्र करने और प्रत्याशित एआईआर फाईलर्स/नॉन-फाईलर्स का डाटाबेस नहीं बनाया।
- सीआईबी ने सीआईबी मॉडयूल के लिए समय पर और संपूर्ण ढंग से एकत्रित सूचनाओं को अपलोड नहीं किया। इसको तकनीकी कारणों के कारण सूचनाएं अपलोड करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- पिछले वर्षों की सूचनाओं को चालू वर्ष की सूचनाओं के रूप में अपलोड कर दिया गया था।
- सीआईबी ने फॉर्म 60/61 में प्राप्त घोषणाओं का अंकीकरण और प्रसार नहीं किया।
- सीआईबी ने सीआईबी मॉड्यूल में उपलब्ध सभी कार्यात्मकताओं का प्रयोग नहीं किया।

सूचनाओं का महत्व

2.1 आईटीडी विभिन्न तृतीय पक्ष के स्त्रोतों से वित्तीय लेन देनों की सूचनाऐं एकत्रित करती है जो राजस्व के संभावित स्त्रोतों की पहचान में सहायता करती है।

2.2 कर-जीडीपी[5] अनुपात जो वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहा था वित्तीय वर्ष 09 में घटने लगा तथा वित्तीय वर्ष 08 में 6.6 *प्रतिशत* से घट कर वित्तीय वर्ष 11 में 5.7 *प्रतिशत* हो गया। वित्तीय वर्ष 02 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान निर्धारितियों की संख्या में औसत वृद्धि 3.1 *प्रतिशत* थी। (चार्ट 2.1)

[5] बाजार मूल्य पर जीडीपी (स्त्रोतः सांख्यिकी मंत्रालय; एनएसओ)

चार्ट 2.1 : निर्धारिती बनाम कर जीडीपी अनुपात

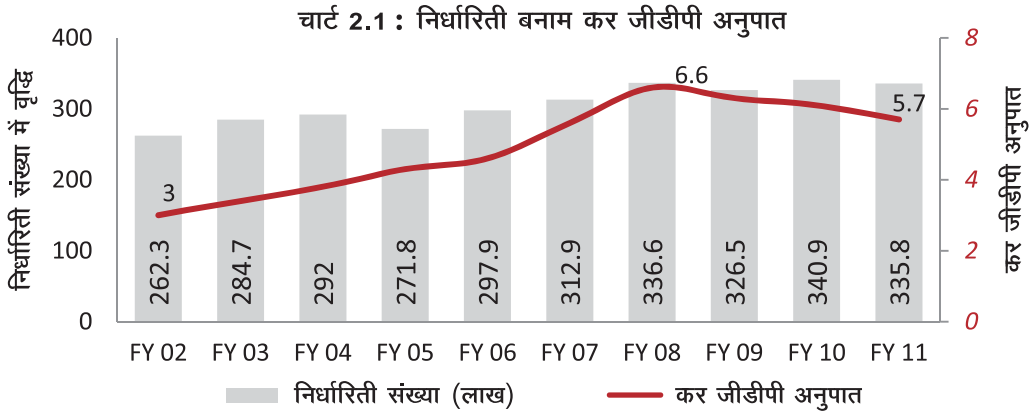

2.3 स्पष्टतः डीजीआईटी-आईएंडसीआई (पूर्व सीआईबी) के माध्यम से सूचनाओं के एकत्रण द्वारा कर आधार को विस्तृत और सुदृढ करने की काफी गुंजाइश है।

सूचनाओं के स्त्रोत

2.4 आईटीडी एआईआर के माध्यम से और सीआईबी से प्रत्यक्ष रूप से सूचना एकत्रित करता है। विभिन्न स्त्रोत जैसे बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, कंपनियां, म्यूचुअल फंड, संपति के रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय उत्पादशुल्क/सीमाशुल्क/बिक्री कर विभाग डाक घर, स्थानीय प्राधिकारी, होटल/क्लब/केटरर, टेलीफोन प्रदाता, बीमा कम्पनियां आदि सूचनाएं प्रदान करते हैं। सीआईबी 40 सोर्स कोड्स जिनमें से 12 अनिवार्य (अनुबंध) हैं, से सूचनाएं प्राप्त करती हैं।

2.5 वित्तीय वर्ष 05 के दौरान, सीआईबी ने ₹ 4.38 लाख करोड़ मूल्य के 13.59 लाख सूचनाएं एकत्र की। ये सूचनाऐं वित्तीय वर्ष 12 में बढ़कर 11.17 करोड़ हो गईं जिनका मूल्य ₹ 223.53 लाख करोड़ था। वित्तीय वर्ष 05 के दौरान आईटीडी ने ₹ 14.21 लाख करोड़ मूल्य का 20.08 लाख एआईआर डाटा प्राप्त किया। यह वित्तीय वर्ष 12 में बढ़कर 46.61 लाख एआईआर डाटा हो गया जिसका मूल्य ₹ 94.30 लाख करोड़ था।

सूचना का प्रवाह

2.6 निम्नलिखित प्रवाह चार्ट सूचना के प्रवाह को स्पष्ट करता है:

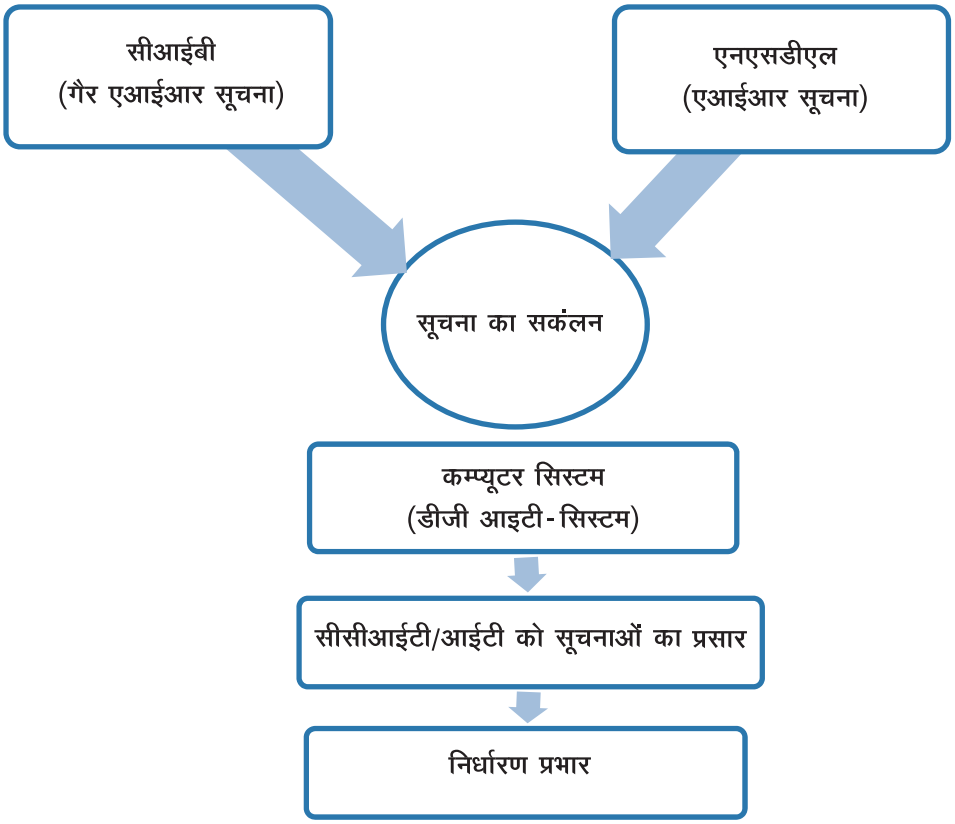

वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर)/सीआईबी सूचनाऐं

2.7 अधिनियम की धारा 285बीए और नियमावली का नियम 114ई, निर्दिष्ट करते हैं कि व्यक्तियों से निर्धारित आयकर प्राधिकारी या एजेंसी को वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद एआईआर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने निर्दिष्ट व्यक्तियों से एआईआर प्राप्त करने के लिए एनएसडीएल को निर्धारित एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है। वर्तमान में, व्यक्तियों की सात श्रेणियों द्वारा अनिवार्य रूप से एआईआर फाईल की जानी अपेक्षित है जोकि एक वर्ष में ₹ 10 लाख या अधिक नकद जमा स्वीकार करने वाले बैंक, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक अथवा कम्पनी जहां एक वर्ष में ₹ दो लाख से अधिक के बिलों के प्रति भुगतान किया गया हो यूनिटों की बिक्री के लिए ₹ दो लाख अथवा अधिक एकत्र करने वाले म्यूचुअल फंड, बांड/ऋण-पत्र जारी करने के लिए ₹ पांच लाख अथवा अधिक प्राप्त करने वाली कम्पनी, शेयर जारी करने के लिए ₹ एक लाख अथवा अधिक प्राप्त करने वाली कम्पनी, ₹ 30 लाख से अधिक की अचल सम्पत्ति की बिक्री/खरीद के संबंध में रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार तथा ₹ पांच लाख अथवा अधिक के बाँड जारी करने के लिए आरबीआई हैं।

आईटीडी सिस्टम के सीआईबी मॉड्यूल

2.8 आईटीडी सिस्टम के सीआईबी मॉड्यूयल लेन-देनों के पैन की पहचान करने में सहायता करते हैं। यह उन मामलों में भी पैन सूचना को अद्यतन करने की अनुमति देता है जहां सूचना नामित निर्धारण अधिकारी (डीएओ)/क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) द्वारा प्रश्न-पत्र जारी करके प्राप्त की गई है। इसके बाद विभिन्न आंतरिक और बाह्य स्त्रोतों से एकत्रित सूचना एओज़ और जांच स्कंद को प्रसारित कर दी जाती है।

2.9 संवीक्षा के समय पर एओ को व्यक्तिगत लेन-देन विवरण (आईटीएस) रिपोर्ट के रूप में सहायता प्रदान की जाती है, जो एक एकल रिपोर्ट में पैन के प्रति विभिन्न स्त्रोतों से सूचना एकत्र करती है और एक कर-दाता की अधिक विस्तृत वित्तीय रूप-रेखा प्रदान करती है।

2.10 आईटीडी सिस्टम के माध्यम से सीआईबी सूचना का प्रवाह (पैन सहित और पैन-रहित दोनों) नीचे दिया गया है।

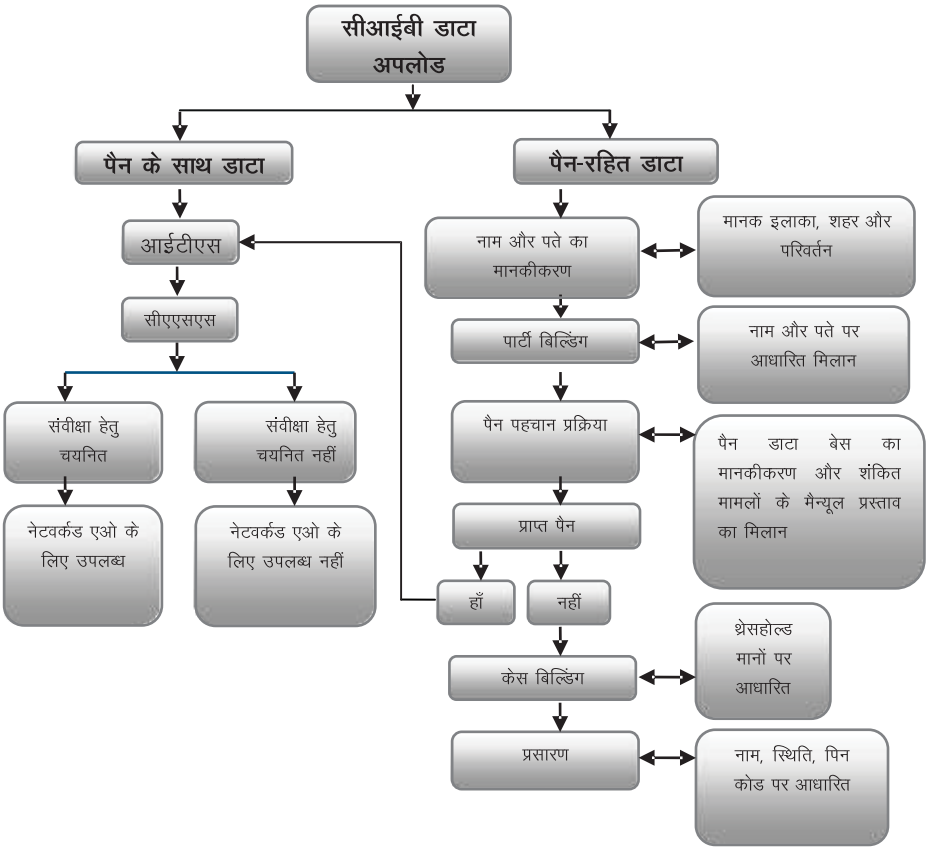

सीआईबी द्वारा सभी अनिवार्य सोर्स कोड्स और अनुमोदित वैकल्पिक सोर्स कोड्स से सूचनाऐं एकत्रित नहीं की गई। एकत्रित सूचनाओं का एक बड़ा भाग पैन रहित था और उसकी कीमत शून्य थी। सभी व्यक्ति मांगी गई सूचनाएं नहीं दे रहे थे और उनके प्रति कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

सूचना एकत्रण में कमियां

2.11 सीआईबी ने वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान 2,868.94 लाख[6] सूचनाऐं एकत्रित कीं। सीआईबी द्वारा एकत्रित सूचनाओं के विश्लेषण से ज्ञात हुआ किः

क. डीजीआईटी (आसूचना) द्वारा केरल में 10 वैकल्पिक स्त्रोतों से सूचनाऐं एकत्र करने की स्वीकृती दी गई (जून 2010)। तथापि, इन स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष 11 में सूचना नहीं मांगी गयी थी।

ख. डीआईटी-सीआईबी, पटना द्वारा सभी अनिवार्य सोर्स कोड्स से सूचना नहीं मांगी[7] गई थी। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि डीआईटी-सीआईबी, पटना ने सभी अनिवार्य सोर्स कोड्स से संबंधित सूचना मंगाई थी और नोटिस जारी किए थे परंतु उनमें संबंधित समयावधि का उल्लेख नहीं किया।

ग. सीआईबी को वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान जारी 56,528 नोटिसों[8] में से 18,590 नोटिसों[9] के उत्तर प्राप्त नहीं हुए। डीआईटी-सीआईबी पुणे ने वित्तीय वर्ष 11 में केवल 10 मामलों में दंडात्मक कार्रवाई शुरू की और डीआईटी (सीआईबी), मुम्बई ने 2,746 मामलों में अनुस्मारक जारी करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। आंध्र प्रदेश में, आईटीडी ने 258 मामलों को छोड़कर गैर प्रतिवादी के प्रति दंडात्मक कार्रवाई नहीं की क्योंकि आईटीडी फाईलर्स को शिक्षित करने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया में व्यस्त था। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि अपर डीआईटी/संयुक्त डीआईटी की कमी के कारण, कई प्रभारों में शास्तिक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

---

[6] वित्तीय वर्ष 08:325.58 लाख, वित्तीय वर्ष 09: 517.19 लाख, वित्तीय वर्ष 10: 876.83 लाख और वित्तीय वर्ष 11: 1,149.34 लाख। सीआईबी, तमिलनाडु द्वारा वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09 की जानकारी प्रदान नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के संबंध में जानकारी शामिल है।

[7] वित्तीय वर्ष 10: सोर्स कोड 009 (i) और (ii), 010 और 011, वित्तीय वर्ष 11: सोर्स कोड 009 (i) और (ii)

[8] डीआईटी-सीआईबी, पुणेः 25,580; डीआईटी-सीआईबी) मुंबईः 7,329. डीआईटी-सीआईबी, मुंबई के संबंध में वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी। आंध्र प्रदेश 7,296 (वित्तीय वर्ष 11), केरलः 7,785; मध्य प्रदेशः 8,538.

[9] डीआईटी-सीआईबी पुणेः 12,534; डीआईटी-सीआईबी); मुम्बईः 2,746; आंध्र प्रदेशः 1,870; केरलः 1,390, मध्य प्रदेशः 58.

घ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09[10] के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। आईटीडी ने सूचना प्रस्तुत न करने के लिए एनएसई के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि वित्तीय वर्ष 10 से एनएसई से डाटा एकत्र और अपलोड कर लिया गया है।

पैन के बिना प्राप्त सूचना

2.12 केरल और पश्चिम बंगाल में एकत्रित क्रमशः 24.74 लाख और 1.55 लाख सूचनाओं में से, 19.14 लाख और 0.81 लाख सूचनाऐं अर्थात् क्रमशः 77 *प्रतिशत* और 52.2 *प्रतिशत* पैन के बिना थी।

2.13 सीआईबी कर्नाटक से संबंधित डाटा के विश्लेषण से पता चला कि वित्तीय वर्ष 09 के दौरान एकत्रित केवल 17 *प्रतिशत* सूचनाऐं पैन के साथ थी जबकि वित्तीय वर्ष 10 में यह सूचनाऐं उपलब्ध डाटा का केवल 08 *प्रतिशत* थी। हमने यह भी देखा कि वित्तीय वर्ष 09 में एकत्रित 21 *प्रतिशत* सूचनाओं का मूल्य शून्य है।

तालिका 2.1: सीआईबी, कर्नाटक द्वारा एकत्रित की गई सूचना का विवरण

वित्तीय वर्ष	एकत्रित की गई सूचनाएं	उपलब्ध कराई गई सूचनाऐं	शून्य मूल्य वाला डाटा	पैन के बिना डाटा	पैन सहित डाटा
वित्तीय वर्ष 09	2300232	2300232	489057 *(21%)*	1917613 *(83%)*	382619 *(17%)*
वित्तीय वर्ष 10	8854011	1788206	152989 *(9%)*	1645776 *(92%)*	142430 *(8%)*

समान फॉर्मेट में अनुरक्षित न की गई सूचनाएं

2.14 हमने राजस्थान, केरल, ओडिशा और बिहार में निर्धारित फॉर्मेट में सीआईबी द्वारा सूचना प्राप्ति रजिस्टर (आईआरआर) के रखरखाव में कमियाँ पाई। सीआईबी, सीआईबी मॉडयूल में अपलोड डाटा और प्रसार के बारे में विवरण का अभिलेख भी नहीं कर रहा था। सीआईबी गुजरात समान फॉर्मेट में आईआरआर अनुरक्षित नहीं कर रहा था। वह असम में आईआरआर का बिल्कुल अनुरक्षण नहीं कर रहा था और वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09 में केरल और ओडिशा में आईआरआर का अनुरक्षण नहीं कर रहा था।

[10] वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 की जानकारी सीआईबी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

टिन एफसीज़ द्वारा संचालित एआईआर के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण

2.15 एआईआर की सूचना एनएसडीएल के माध्यम से अपने टिन एफसीज़ से प्राप्त की जाती है और आईटीडी प्रणाली में अपलोड की जाती है। एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की लेखापरीक्षा जांच में टिन केन्द्रीय प्रणाली में प्राप्त और अपलोड किए गए लेनदेनों की राशि और गिनती मे अंतर पाया गया।

2.16 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि प्राप्त और स्वीकृत लेन-देनों की राशि और गिनती में अंतर लेन-देनों की दोहरी रिपोर्टिंग के कारण टिन केन्द्रीय प्रणाली में अस्वीकृत एआईआर के कारण हैं तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि टिन केन्द्रीय प्रणाली में स्वीकृत एआईआर में लेन-देनों की राशि कई मामलों में प्राप्त लेन-देनों की राशि से अधिक थी।

2.17 हमने टिन एफसी द्वारा संचालित एआईआर सूचना में कई कमियां पाई जो इस प्रकार हैं:

क. आईटीडी को एआईआर डाटा निकालते समय एनएसडीएल से अपेक्षित है कि वह आईटीडी पैन मास्टर में पैन की उपस्थिति की जाँच करें। तथापि, हमने पाया कि टिन एफसीज़ ने एआईआर की अपलोडिंग से पूर्व केवल पैन की संरचनात्मक वैधता की जांच[11] की, अर्थात् क्या पैन में निर्दिष्ट फॉर्मेट में 10 अंक निहित है। इस प्रकार आईटीडी पैन मास्टर में पैन की उपस्थिति के बारे में कोई जांच नहीं थी। मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2012)-कि आईटीडी डाटा वैध और अवैध पैन श्रेणियां दर्शाता था और कि सीआईबी ने आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की-लेखापरीक्षा आपत्ति का समाधान नहीं करता।

ख. एआईआर फाईलर गलत सूचनाओं को सही करने के लिए पूरक एआईआर दाखिल कर सकता है। तथापि, आईटीडी ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। संवीक्षा मामलों के चयन के पश्चात् दाखिल पूरक एआईआर्ज़ के द्वारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2012) - कि पूरक एआईआर सूचनाओं का उपयोग संवीक्षा तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह जांच और करदाताओं का 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने में उपयोगी है - लेखापरीक्षा के इस बिंदु का समाधान नहीं करता कि पूरक एआईआर के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं की जा सकती।

---

[11] लेखापरीक्षा ने राजस्थान में 5 टिन एफसीज-शेल जयपुर (कोड न. 07020), अलंकृत जयपुर (कोड न. 01005), कार्वी जयपुर (कोड न. 05016), अलंकृत जोधपुर (कोड न. 01058), इंटिग्रेटेड इंटरप्राइजेज जोधपुर (कोड न. 03160) में संरचनात्मक वैधता का वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के लिए 177 एआईआरज़ के डाटा पर विश्लेषण किया। 122 एआईआर्ज़ के 11395 मामलों में से 1096 मामलों (9.62 *प्रतिशत*) में आईटीडी में संरचनात्मक वैध पैन उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, 55 एआईआर्ज़ में कोई संरचनात्मक वैध पैन नहीं था।

सूचनाओं की पूर्णता के संबंध में आश्वासन

2.18 नियम 114ई(2) के तहत, फार्म 61ए में एआईआर निर्दिष्ट लेन-देनों के संबंध में दाखिल किए जाने थे जो वित्तीय वर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत या दर्ज किए गए थे। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट में सभी पात्र लेन-देनों को शामिल कर लिए था और प्रतिवेदित जानकारी सही थी, कोई खास नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी।

गलत सूचनाएं प्रस्तुत करना

2.19 नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि एआईआर में दी गई सूचनाओं के आधार पर संवीक्षा निर्धारण के लिए चुने गये, 110 मामलों में एआईआर सूचनाऐं निर्धारण प्रक्रिया के दौरान जांच करने पर गलत पाई गई। प्रायः एओज़ ने स्पष्ट निर्देशों के अभाव में अन्य क्षेत्राधिकार में निर्धारितियों से सम्बन्धित सूचना संबंधित क्षेत्राधिकार वाले एओज़ को अग्रेषित नहीं की जिसके कारण सूचना संसाधन बेकार गए (बॉक्स 2.1 देखें)।

बॉक्स 2.1: गलत सूचना के निदर्शी मामले

क. प्रभार: डीसीआईटी 10(3), सीआईटी 10, मुबंई, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारिती: इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड

एआईआर सूचना के अनुसार, निर्धारिती द्वारा वित्तीय वर्ष 08 में ₹ 1,333.76 करोड़ की अचल संपत्तियों की खरीद की गई। निर्धारिती ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट किये गये लेन-देनों में से, अपने बिजनेस उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा उधार राशियों के लिए ऋणपत्र न्यास विलेख के लिए पंजीकरण के संबंध में ₹ 1,280 करोड़ का एक लेन-देन था और अचल संपत्ति में किसी खरीद लेन-देन से संबंधित नहीं था। संयुक्त उप रजिस्ट्रार, कुर्ला ने भी तथ्यों की पुष्टि की।

ख. प्रभार: डीसीआईटी 5, सीआईटी - 3, पुणे, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारिती: श्री दारा एन. दमानिया

एआईआर सूचना के अनुसार निर्धारिती ने कॉसमॉस कोआपरेटिव बैंक में ₹ 3.07 करोड़ की नकद राशि जमा कराई। बाद में यह पाया गया कि निर्धारिती का उस बैंक में खाता नहीं था। बैंक ने भी नोटिस के प्रति इसकी पुष्टि की और सूचित किया कि राशि एक ट्रस्ट से जुड़े चार स्कूलों द्वारा जमा कराई गई थी जहाँ निर्धारिती केवल एक हस्ताक्षरकर्ता था।

ग. प्रभार: सीआईटी 20, कोलकाता, निर्धारण वर्ष: 10
निर्धारिती: श्री मधुचंदा कर, पैन - एईआईपीएम9031एम

एआईआर के अनुसार, निर्धारिती द्वारा वित्तीय वर्ष 09 के दौरान म्यूचुअल फंड में ₹ 20 करोड़ निवेश किये गये। निर्धारण कार्रवाई के दौरान, संपत्ति प्रबंधन कंपनी ने सूचित किया कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश, अनजाने में निर्धारिती के नाम के प्रति उल्लेखित कर दिया गया था।

घ. प्रभार: सीआईटी III, बैंगलुरू, निर्धारण वर्ष: 06
निर्धारिती: श्री नारची भाई एम पटेल, पैन - एएवाईपीपी7854एम

एआईआर सूचना में ₹ 75,750 का पंजीकरण फीस भुगतान गलती से संपत्ति के विक्रय मूल्य के रूप में ₹ 75.75 लाख उल्लिखित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एओ ने धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी कर निर्धारण का केस दोबारा खोल दिया और धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत दिसम्बर 2010 में बिना कोई राशि जोड़े अन्तिम रूप से तय कर दिया। इस प्रकार गलत सूचना के कारण मामला दोबारा खोला गया जो अन्यथा पुनः नहीं खोला जाना चाहिए था जिसके परिणामस्वरूप मानवशक्ति की हानि हुई।

2.20 लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एआईआर फाईलर्स द्वारा उचित ढंग से सूचना प्रस्तुत नहीं की गईः निर्धारितियों के नाम गलत या अशुद्ध या संक्षिप्त थेः लेन-देन करने वाली पार्टी के पते उनके नामों के साथ जोड़ दिए गए थेः लेन-देन करने वाली पार्टियों के पते सही नहीं थे जिसके कारण महत्वपूर्ण सूचना नहीं मिल पाई और पैन की पहचान नहीं हुई।

आईटीडी ने एआईआर फाईल न करने वाले या देर से फाईल करने और एआईआर में अधूरी सूचनाएं देने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड नहीं लगाया।

एआईआर फाईल न करने वाले/देर से फाईल करने वालों पर अर्थदण्ड न लगाना

2.21 अधिनियम के 271एफए में यह निर्धारित है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे एआईआर फाईल करनी अपेक्षित है, निर्धारित समय में एआईआर फाईल नहीं कर पाता तो निर्धारित आयकर प्राधिकारी अर्थात् डीआईटी-सीआईबी; को फाईल न करने के समय के दौरान प्रतिदिन के लिए ₹ 100 का जुर्माना लगाने का अधिकार है। एआईआर सूचना के देरी से एकत्रण और प्रसारण के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि इससे निर्धारण के समय न केवल एओ द्वारा लेन-देन की शुद्धता की पुष्टि हो पाती है बल्कि उस वित्तीय वर्ष के लिए चलाये गये कास[12] चक्र द्वारा संवीक्षा के चयन के मामले भी छूट सकते हैं। इससे एआईआर सूचनाओं के एकत्रण और प्रसारण का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

2.22 हमने 60 मामलों में पाया कि वित्तीय वर्ष 08 (निर्धारण वर्ष 09 के संदर्भ में) से संबंधित एआईआर्ज़ जनवरी/मार्च 2011 में अर्थात् धारा 153 के अंतर्गत निर्धारण की निर्दिष्ट समय सीमा समाप्त होने के बाद फाईल किए गए।

2.23 सीआईबी ने वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान एआईआर के 2,414[13] नॉन फाईलर्स/लेट फाईलर्स को नोटिस भेजे जिसमें से 1,296[14] ने एआईआर दाखिल की। 263[15] मामलों में जुर्माना लगाया गया। एआईआर के देरी से दाखिल करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई और धारा 133(6) के तहत जारी नोटिसों के देरी से जवाब के संबंध में डीआईटी-सीआईबी, मुंबई ने कहा कि वह इस तथ्य से निर्देशित था कि फाइलर्स कुछ कीमत और असुविधा पर डाटाबेस बनाकर आईटीडी की सहायाता कर रहे थे, इसलिए अनुनय को दंड के प्रति वरीयता दी गई थी। हरियाणा में,

---

[12] कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा प्रणाली

[13] महाराष्ट्रः 1,035 मामले; हरियाणाः 369 मामले; केरलः 230 (केवल वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 के लिए, वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09 के लिए, सीआईबी, केरल द्वारा कोई सूची नही बनाई गई), तमिलनाडुः 471 (वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10), ओडिशाः 116 (वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10), आंध्र प्रदेशः 193 (वित्तीय वर्ष 10)

[14] महाराष्ट्रः 811, केरलः 120, आंध्र प्रदेशः 64, ओडिशाः 18, हरियाणाः 283

[15] महाराष्ट्रः 54 मामले, हरियाणाः 122 मामले, तमिलनाडुः 87

उन मामलों में जुर्माना नहीं लगाया गया जहाँ विलंब 100 दिन से कम था। आईटीडी द्वारा 2,651 एआईआर की गलत फाइलिंग/विलंब से फाइलिंग के लिए ₹ 596.78 लाख का जुर्माना[16] नहीं लगाया गया।

अधूरी सूचनाएं फाईल करने के लिए एआईआर फाईलर्स के प्रति कोई कार्रवाई न करना

2.24 हमनें 87 मामलों में पाया कि एआईआर फाईलर्स ने या तो लेन-देन की कोई सूचना नहीं दी थी या समस्त लेन-देनों की सूचनाएं नहीं दी थी। हालांकि ये सभी मामलें संवीक्षा निर्धारण के लिए चुने गये थे, फिर भी एओ द्वारा एआईआर में सभी निर्दिष्ट लेन-देनों को फाईल न करने के लिए एआईआर फाईलर के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई (बॉक्स 2.2 देखें)।

बॉक्स 2.2: निदर्शी मामलें जहाँ पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई

क. प्रभार: सीआईटी III, कोलकाता, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारिती: श्रीमता डेरीया सरकार, पैन-एएलक्यूपीएस3180सी

एआईआर के अनुसार, निर्धारिती ने म्यूचुअल फंड में ₹ 49.99 लाख निवेश किए थे। संवीक्षा कार्यावाही के दौरान निर्धारिती ने एआईआर में बताई गई राशि के अतिरिक्त म्यूचुअल फंड में ₹ 18 लाख का निवेश बताया जो आईटीएस में नहीं दर्शाया गया था।

ख. प्रभार: सीआईटी XX, कोलकाता, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारिती: सुवप्रसन्ना भट्टाचार्या, पैन-एईडीपीडी2611आर

निर्धारिती का म्यूचुअल फंड में ₹ 38 लाख का निवेश आईटीएस में नहीं दर्शाया गया था क्योंकि यह एआईआर में रिपोर्ट नहीं किया गया था।

ग. उप-रजिस्ट्रार, हवेली 20 ने डीआईटी-सीआईबी (पुणे) के अधिकार क्षेत्र के, तहत वित्तीय वर्ष 09 के लिए एआईआर में 14 लेन-देनों की सूचना दी। डीआईटी-सीआईबी ने सत्यापन के समय पाया कि ₹ 30 लाख से अधिक मूल्य के लेन-देन वाले पाँच मामलों को एआईआर में शामिल नहीं किया गया था।

[16] आंध्र प्रदेश: 2,431 मामले - ₹ 372 लाख (वित्तीय वर्ष 11), पश्चिम बंगाल: 245 मामले - ₹ 174.38 लाख (वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11) और ओडिशा: 119 मामले - ₹ 48.95 लाख (वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10)।

आईटीडी में नियम 114बी, जिसमें विशेष लेन-देनों से सम्बंधित दस्तावेजों में पैन के वर्णन की आवश्यकता हैं, के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

पैन उद्धृत न करना

2.25 नियम 114बी निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस नियम में वर्णित 16 तरीके के लेन-देनों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों में अपने परमानेन्ट अकाउंट नम्बर (पैन) को उद्धृत करना अपेक्षित है। हमने पाया कि आईटीडी में नियम 114बी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी हालांकि अधिनियम की धारा 272बी में नियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए दण्ड का प्रावधान था।

2.26 हमने पाया कि एआईआर में सीआईबी पश्चिम बंगाल तथा डीआईटी-सीआईबी पुणे को सूचित लगभग क्रमशः 52 तथा 37 *प्रतिशत* लेन-देनों में या तो पैन नही था या अवैध पैन था। इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 10 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सीआईबी को सूचित क्रमशः 59 तथा 20 *प्रतिशत* लेन-देन पैन के बिना थे अथवा उसमें गलत पैन था। इससे यह संकेत मिलता है कि आँकड़े एकत्रित करने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। हमनें एआईआर में सूचित 150 लेनदेनों[17] का सैम्पल लिया जहाँ फार्म 60/61 में घोषणा दर्शाई गई थी। हमने देखा कि अधिकतर लेन-देनों की पार्टियाँ-कम्पनियां, बैंक इत्यादि थे। इसलिए, इन वाली पार्टियों के पास पैन न होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। हमने इन लेन-देन वाली पार्टियों के पैन को तलाशने की कोशिश की तथा 127 लेन-देनों में पैन खोजने में सफल हुए।

सहकारी बैंकों का आईटीओज़ (आसूचना) को सूचनाएं देने से इनकार

2.27 केरल में बैंकिंग व्यवसाय में लगे सहकारी बैंकों/समितियों ने अधिनियम की धारा 133(6) के तहत सीआईबी को उनके द्वारा जारी नोटिसों के प्रति सूचनाऐं उपलब्ध कराने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे अधिनियम के इस प्रावधान के अधीन अधिशासित नहीं हैं तथा उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। आईटीडी से यह अपेक्षित है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सहकारी समितिओं के पास उपलब्ध सूचनाऐं आईटीडी सिस्टम में लाई जायें। यदि आवश्यकता हो, तो बोर्ड अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर सकता है।

---

[17] ₹ 30 लाख से अधिक की अचल सम्पत्ति की खरीद के लिए वित्तीय वर्ष 09 में दर्ज लेन-देन से सम्बंधित डीआईटी-सीआईबी मुम्बई से एकत्रित सूचना।

नोटिसों का निपटान

2.28 हमने पाया कि राजस्थान में सीआईबी ने एआईआर के नॉन फाइलर्स को जारी नोटिसों को छः माह के अन्दर उत्तर के आधार पर समाप्त करके अथवा यह सुनिश्चित किए बिना कि एआईआर फाईल कर दिए गए थे, शास्ति लगाकर उनका निपटान कर दिया। वित्तीय वर्ष 10 तथा वित्तीय वर्ष 11 के दौरान आईटीडी ने क्रमशः 21 तथा 34 नॉन-फाइलर्स पर एआईआर न देने के लिए जुर्माना लगाया।

सीआईबी ने प्रत्याशित एआईआर फाइलर्स तथा नॉन-फाइलर्स को पहचानने के लिए डाटा बेस का उपयोग नहीं किया।

एआईआर फाइलर्स का डाटा बेस

2.29 सीआईबी विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों को नोटिस जारी करके सूचना एकत्रित करता है। इस उद्देश्य के लिए सीआईबी को संगठनों/ व्यक्तियों के डाटाबेस को प्रयोग करने की आवश्यकता होती हैं। यह डाटाबेस प्रत्याशित एआईआर फाइलर्स तथा एआईआर नॉन-फाइलर्स की भी पहचान के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, यह प्रतीत होता है कि सीआईबी इस डाटा बेस का एआईआर के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप गुजरात में बैंकों के शाखा कार्यालयों को जिन्हें एआईआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं थी, एआईआर फाईल न करने के लिए धारा 285 बीए(5) के तहत 48 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे। इसी तरह से, गुजरात में 12 मामलों में जहाँ धारा 271एफए के तहत जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू की गई थी

उसे अन्ततः ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि एआईआर फाइलर्स अब विद्यमान नहीं थे। हैदराबाद में, एक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 06 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान एआईआर फाइल नहीं की, परन्तु आईटीडी ने इसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि यह नॉन फाइलर्स की सूची में नही था।

एकत्रित सूचनाओं के आधार पर पार्टी सूचनाओं का संकलन तथा पार्टी बिल्डिंग

2.30 वित्तीय लेन-देनों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर सूचना एकत्र की जाती है। बोर्ड के सितम्बर 2006 के पत्र में सलाह दी गई थी कि एकत्रित सूचनाओं को लेन-देन करने वाली पार्टी के पैन के आधार पर व्यक्तिगत लेन-देन विवरणों (आईटीएस) के अन्दर सीआईटी-सीआईबी द्वारा पार्टी-वार संकलन की जानी चाहिए। जहाँ पैन उपलब्ध नहीं है, सीआईबी को नामवार आईटीएस तैयार करने तथा लेन-देन करने वाली पार्टियों के पैन को पहचानने के लिए सीडी फार्मेट में डीजीआईटी-एस को भेजने तथा आईटीडी प्रणाली में उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता हैं। आईटीडी ने उपर्युक्त सुझाई गई कार्यवाही का अनुसरण नहीं किया तथा एकत्रित जानकारी को कभी भी डीजीआईटी-एस को नहीं भेजा।

सीआईबी ने एकत्रित सूचनाओं को सीआईबी मॉड्यूल में पूर्ण तरीके से तथा समय पर अपलोड नहीं किया। इसे सूचनाओं को अपलोड करने में तकनीकी कारणों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा।

आईटीडी प्रणाली में सूचनाएं अपलोड करना

2.31 आईटीडी द्वारा एकत्रित सूचनाएं केवल तभी पूर्णरूप से प्रयुक्त की जा सकती है जब ये सूचनाऐं डीजीआईटी-एस द्वारा नियंत्रित केन्द्रीय प्रणाली में अपलोड की जाए तथा निर्धारण के दौरान संवीक्षा के लिए फील्ड कार्यालयों (प्रशासनिक कमिशनरों) को प्रसारित की जाए। तीसरी पार्टी के स्रोतों के आँकड़े व्यक्तिगत कर निर्धारितियों द्वारा की गई घोषणाओं की जाँच में उपयोगी हैं।

2.32 हमने देखा कि वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 के दौरान एकत्रित सूचनाओं के 588.53 लाख अंशों को मानव शक्ति की कमी, सीडीज के पढ़ने योग्य न होने, प्रोफार्मा निर्धारित फॉर्मेट में न होने, डीजीआईटी-एस से नए सॉफ्टवेयर की प्राप्ति में देरी तथा सॉफ्टवेयर की स्थायीकरण की समस्याओं आदि जैसे अन्य कारणों तथा तकनीकी कारणों के कारण अपलोड नहीं किया जा सका। सीआईबी कार्यालयों ने असम, राजस्थान, केरल तथा कोलकाता के अलावा एकत्रित तथा अपलोड़ की गई सूचनाओं का धन-मूल्य उपलब्ध नहीं कराया।

तालिका 2.2: आईटीडी प्रणालियों में एकत्रित तथा अपलोड की गई सूचनाओं का विवरण

आँकडे लाखों में

वित्तीय वर्ष	एकत्रित सूचनाऐं	अपलोड़ की गई सूचनाऐं
वित्तीय वर्ष 08	325.58	213.19
वित्तीय वर्ष 09	517.19	218.81
वित्तीय वर्ष 10	876.83	667.34
वित्तीय वर्ष 11	1149.34	1181.07
योग	**2868.94**	**2280.41**

वित्तीय वर्ष 08 तथा वित्तीय वर्ष 09 के लिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र (डीआईटी मुम्बई) में सीआईबी यूनिटों के लिए तथा वित्तीय वर्ष 10 के लिए असम में सीआईबी यूनिट के लिए अपलोड की गई सूचनाओं के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

पैन/टैन से सम्बंधित समस्याएँ

2.33 डाक घरों से प्राप्त ₹ 59.49 करोड़ मूल्य की 1460 सूचनाऐं सम्बन्धित डाक घरों के टैन के अभाव के कारण अपलोड नहीं की जा सकी। राज्य के बाहर जारी की गई कर कटौती तथा लेखा संख्या (टैन) के साथ प्राप्त सूचनाऐं उस राज्य से आईटीडी प्रणाली में अपलोड नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप सीआईबी कोच्चि द्वारा वित्तीय वर्ष 11 के लिए दो लेन-देन कोडों (403 तथा 410) के तहत एकत्रित ₹ 1,680.82 करोड़ मूल्य की 17,881 सूचनाओं को आईटीडी प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सका।

2.34 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि सम्बंधित अधिकार क्षेत्र के डीआईटी-सीआईबी द्वारा टैन के अधिकार क्षेत्र के बाहर के सम्बन्धित आँकड़ों को प्रणाली में अपलोड किया जा सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसी कोई प्रणाली नहीं मिली जिसके द्वारा ऐसे मामलों को अपलोडिंग के लिए क्षेत्राधिकारी डीआईटी-सीआईबी को हस्तांतरित किया जा सके।

सीआईबी मॉड्यूल में सूचनाओं को अपलोड करने में देरी

2.35 एनएसडीएल ने वित्तीय वर्ष 08 तथा वित्तीय वर्ष 09 के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त सूचनाओं को सितम्बर 2010 में और वित्तीय वर्ष 10 तथा वित्तीय वर्ष 11 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त सूचनाओं को अक्तूबर 2011 में अपलोड किया।

2.36 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल को छोड़कर सालभर की सम्पूर्ण एकत्रित सूचनाओं को उसी वर्ष के दौरान अपलोड नहीं किया जा सका। डीआईटी-सीआईबी मुम्बई ने सूचित किया कि दिनांक 17 जनवरी 2008 के अनुदेश संख्या 22 के द्वारा निर्धारित पद्धति बहुत जटिल थी तथा पूरे देश के केवल कुछ सीआईबी अधिकारी ही डॉटा अपलोड कर सके। अपलोड करने की सरलीकृत कार्यवाही को दिनांक 29 जून 2009 के आदेश संख्या 29 में बताया गया था जिसके पश्चात् पर्याप्त डॉटा अपलोड किया गया था। हमने देखा कि ₹ 50.60 करोड़ के 171 मामलों में सूचनाऐं देरी से अपलोड की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन सूचनाओं का संवीक्षा निर्धारण के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका (बॉक्स 2.3 देखें)।

बॉक्स 2.3: सूचना को अपलोड करने में हुई देरी का निदर्शी मामला

सीआईटी-I सूरत प्रभार में, एक कम्पनी मै. अमर ज्वैलर्स लिमिटिड से सम्बंधित वित्तीय वर्ष 08 (निर्धारण वर्ष 09 से संगत) के सम्बंध में सीआईबी सोर्स कोड की ₹ 9.63 करोड़ मूल्य की 21 सूचनाऐं निर्धारण को पूरा करने के लिए धारा 153 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद 8 मार्च 2011 को अपलोड की गई।

आँकड़े अपलोड करने में समरूपता/वर्गीकरण की कमी

2.37 डीआईटी-एस नई दिल्ली ने एकरूपता के उद्देश्य से अंकीकृत डाटा संरचना[18] निर्धारित की है। स्रोत कोड एजेंसियों को सीडीज में निर्धारित फार्मेट में सूचनाऐं देनी अपेक्षित है। सीडीज में स्रोत कोड एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं की फाइल करते समय जाँच की जानी चाहिए थी। त्रुटिपूर्ण/गलत सीडीज को दुबारा जमा कराने के लिए वापिस किया जाना था।

---

[18] "नए आवश्यक सीआईबी कोड के लिए तीसरी पार्टी सीआईबी सूचना अपलोड करने की पद्धति" के लिए उपयोगकर्त्ता मेन्यूल का अध्याय-7

2.38 चेन्नई[19] में कुछ उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं की सॉफ्ट कॉपी की नमूना जाँच से पता चला कि एसआरओ द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना निर्धारित डाटा संरचना के अनुसार नहीं थी बल्कि 39 कॉलमों में से 23 कॉलमों के संबंध में डाटा संरचना भिन्न थी। इसके अलावा, लेन-देन करने वाली पार्टियों के नाम, पते जैसी महत्वपूर्ण सूचनाऐं क्षेत्रीय भाषा में थी। इससे एक रूप डाटा संरचना रखने का उद्देश्य विफल हो गया। इससे उक्त डॉटा को अपलोड करने में विलम्ब हो सकता है क्योंकि अपलोड करने से पहले उसका अनुवाद किया जाना अपेक्षित था जिसमें अनावश्यक मानवशक्ति तथा समय की देरी अन्तर्ग्रस्त थी।

2.39 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि सीआईबी डाटा उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के विस्तार पर विचार करते हुए, काफी एजेंसियां रिटर्न प्रेपरेशन यूटिलिटी (आरपीयू)/ फाइल्ड वेलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) की आवश्कताओं के अनुपालन को कठिन मानती हैं। फिर भी फील्ड अधिकारियों ने एजेंसियों को अपने आकड़े सही निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

विगत वर्षों की सूचनाओं को चालू वर्ष की सूचनाओं के रूप में अपलोड किया गया था

2.40 हमने पाया कि 32 मामलों में विगत वर्षों के लेन-देनों को चालू वर्ष के लेन-देनों के रूप में अपलोड किया गया था (देखें बॉक्स 2.4)।

बॉक्स 2.4 : विगत वर्षों की सूचनाए चालू वर्ष की सूचनाओं के रूप में अपलोड करने वाले निदर्शी मामले।

क. ₹ 13.0 लाख का लेन-देन[20] जो 22 फरवरी 2002 को हुआ था, उसे वित्तीय वर्ष 08 के लेन-देन के रूप में दर्शाया गया था।

ख. एक अन्य मामले[21] में ₹ 70.30 करोड़ मूल्य की 33 एआईआर/सीआईबी सूचनाओं का प्रसार किया गया गया और वे निर्धारिती के वित्तीय वर्ष 08 के आईटीएस में दर्शायी गई थी परन्तु ये लेन-देन वित्तीय वर्ष 07 से संबंधित थे।

2.41 सीबीडीटो के अनुदेश सं.1943 दिनांक 22 अगस्त 1997 और सं. 414/66/2009 (इन I) दिनांक 22 दिसम्बर 2009 निर्धारित करता है कि डीआईटी-आई एण्ड सीआई को उस वित्तीय वर्ष के बाद जिसमें लेन-देन को पंजीकृत या रिकॉर्ड किया गया था, 01 सितम्बर और 15 सितम्बर के बीच सीआईबी स्रोत कोड सूचना का तत्काल प्रसार अपलोड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 153 की उपधारा (1) के पहले उपबन्ध के अनुसार निर्धारण वर्ष जिसमें आय निर्धारण योग्य थी, की समाप्ति के 21 महीने गुजरने के बाद धारा 143 या 144 के अन्तर्गत कोई निर्धारण आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

---

[19] एसआरओ मायलापोर, ट्रिपलिकेन, नगामबक्कम (जॉयन्ट II थाउजेन्ट लाइटस), तेनामपेट (जायन्ट-I चेन्नई-सेंट्रल)

[20] निर्धारितीः मैं. फेयर ग्रोथ एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लि. प्रभारः सीआईटी-II, कोलकाता, निर्धारण वर्षः 09

[21] निर्धारितीः मैं. आम्रपाली फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, प्रभारः सीआईटी-I, अहमदाबाद निर्धारण वर्षः 09

सूचनाओं का प्रसार

2.42 सिस्टम में पैन के साथ अपलोड की गई एआईआर/सीआईबी सूचनाओं से वैयक्तिक लेन-देन विवरण (आईटीएस) प्राप्त होते है और "कॉस " द्वारा संवीक्षा के लिए मामलों को चुनते समय उपयोग के लिए उपलब्ध है। संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों में ये डाटा एओज़ को उपलब्ध होते हैं, जोकि निर्धारण प्रक्रियाओं में उपयोगी हैं। यद्यपि, नॉन-पैन डाटा पते के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं और डीजीआईटी-एस द्वारा सीसीआईटी को क्षेत्राधिकारी डीएओ/जेएओ को अगली कार्रवाई करने के लिए भेजे जाते हैं।

2.43 सीआईबी, उत्तर प्रदेश ने नॉन-पैन सूचना के प्रसार मे देरी की। सीआईटी-I , आगरा और सीआईटी गाजियाबाद को वित्तीय वर्ष 09 के लिए नॉन-पैन सूचना वाली सीडी जनवरी 2012 के महीने में मिली, अर्थात संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि के बाद । सीआईटी-I लखनऊ को यह सीडी मई 2011 को प्राप्त हुई। इसी प्रकार डीएओ, आगरा को वित्तीय वर्ष 05 से वित्तीय वर्ष 09 से संबंधित नॉन पैन वाली 9,007 सूचनाओं की सीडी अप्रैल 2010 में प्राप्त हुई। इस देरी के परिणामस्वरूप निर्धारण अवधि के कालातीत होने, लेन-देन करने वाली पार्टियों का पता ना चलने आदि के कारण सूचनाओं का प्रयोग नहीं हुआ।

2.44 फरवरी 2010 से पूर्व, सूचनाऐं डीआईटी-सीआईबी कोलकाता द्वारा संकलन या वर्गीकरण बिना समेकित रूप में ही प्रसारित की गई थी। सभी सीआईटी को उसी सीडी की प्रतियां दी गई थी। 10 चयनित इकाईयों[22] में प्राप्त सूचना ऐसे अव्यवस्थित ढंग से थी कि इन्हे पृथक नहीं किया जा सकता था जिससे कि निर्धारण के समय वांछित सूचना की पुनः प्राप्ति की जा सके। सीआईबी, कोलकाता को समीक्षा के लिए चुने गए पांच सीआईटी को भेजी गई सूचनाओं से संबंधित सूक्ष्म स्तर के विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोघ किया गया था। तथापि, सीआईबी, कोलकाता ने इसकी पूर्ति करने में अपनी असमर्थता जाहिर की और इसके लिए तर्क दिया कि डाटा को संबंधित सीसीआईटी/ सीआईटी को प्रेषित करने से पहले पिन कोड के अनुसार व्यवस्थित किया गया था और एक सीआईटी के अधिकार क्षेत्र में कई पिन कोड क्षेत्रों को कवर किया गया था। जब संबंधित विंग जिसने स्वयं ही डाटा को एकत्र, संगठित और प्रसारित किया उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, तो एओज़ के लिए निर्धारण करते समय इसका प्रयोग लगभग असम्भव है।

---

[22] प्रसारित की गई सूचना 75 चुनिंदा इकाईयों में से 65 इकाईयों को प्राप्त नहीं हुई। सिर्फ 10 इकाईयों को प्रसारित सूचना प्राप्त हुई।

सीआईबी ने फार्म 60/61 में प्राप्त घोषणाओ का अंकीकरण और प्रसार नहीं किया।

फार्म 60 और 61 के माध्यम से एकत्र सूचनाओं का प्रसार

2.45 सीबीडीटी[23] के अनुदेशों में सिफारिश की गई हैं कि सीआईटी-सीआईबी को फार्म 60/61 में दी गई सूचनाऐं पूर्व-निर्धारित फार्मेट में अंकीकृत करनी चाहिए, उन्हें पते-वार और श्रेणी-वार वर्गीकृत करना चाहिए और उन्हें आगे डीएओज़ को भेजने के लिए घोषणाओं के प्राप्त होने के एक महीनें के अन्दर इसे सीडी फॉर्मेट में सीसीआईटी को भेज देना चाहिए जो धारा 133 (6) के अन्तर्गत सीआईटी के पूर्व अनुमोदन से सूचना मांग सकेंगे। हमने देखा कि सीआईबी कार्यालयों द्वारा इस संबंध में विभिन्न तरीके अपनाए गए थे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीआईबी ने फार्मों[24] को प्राप्त करने के बाद डम्प कर दिया जबकि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने फार्म 60/61 में निहित डाटा को अंकीकृत[25] किया और इसे संबंधित सीआईटी को प्रसारित किया। तथापि कुछ राज्यों[26] में प्रसारित सूचना संबंधित निर्धारण अधिकारी तक नहीं पहुंची थी। इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में वह सूचनाऐं जो निर्धारिती की पहचान करने में उपयोगी सिद्ध होती वह काफी हद तक अनुपयोगी रही जिसके साथ आईटीडी के दुर्लभ स्रोत-धन और मानव शक्ति की बरबादी हुई।

2.46 असम, ओडिशा, मुम्बई और दिल्ली क्षेत्रों में फार्म 60/61 के बारे में सूचनाऐं या तो उपलब्ध ही नहीं थी या निश्चेय नहीं थी। सीआईबी, कानपुर को एआईआर फाईलर्ज़ से कोई फार्म 60/61 प्राप्त नहीं हुआ था। केरल में स्टेट बैंक ग्रुप के किसी भी बैंक, आरटीओज़/एसआरटीओज़ और जिला रजिस्ट्रार/ उप-रजिस्ट्रार ने फार्म 60/61 सीआईबी कार्यालय को अग्रेषित नहीं किया।

सीआईबी ने सीआईबी मॉडयूल में उपलब्ध सभी कार्यात्मकाताओं का उपयोग नहीं किया

सीआईबी मॉडयूल में लेन-देनों का मानकीकरण

2.47 लेन-देनों में, जहां पैन उपलब्ध नहीं है, नाम और पतों के मानकीकरण की कार्यात्मकता का उपयोग नहीं किया जा रहा था। आईटीओज़ और उनके स्टाफ द्वारा लेन-देन विवरण की शुद्धता की जांच के लिए सभी मानकीकृत और गैर-मानीकृत लेन-

---

[23] सीबीडीटी की पत्र सं. 415/2/97-आईटी (आईएनवी) दिनाँक, सितम्बर 2006

[24] केरलः 13,247 (वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11) कर्नाटकः उ.न., तमिलनाडुः उ.न., उत्तर प्रदेश (सीआईबी लखनऊ) 5,82,251 (वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10); पश्चिम बंगाल 73,421 (वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10)।

[25] आन्ध्र प्रदेशः 9,95,330 सूचनाएं अंकीकृत व प्रेषित; गुजरातः 38,488 फार्म प्राप्त किए गए जिसमें से 2,264 प्रसारित किए गए; पंजाबः 2,50,301 फार्म 60/61 प्राप्त हुए और प्रसारित किए गए; हरियाणाः 25,695 सूचनाएं प्राप्त और प्रसारित की गई; राजस्थानः 69,474 फार्म अंकीकृत किए, तथापि केवल 46,832 अपलोड किए गए।

[26] हरियाणा और पंजाब

देनों की अपेक्षित ऑन लाईन समीक्षा नहीं की जा रही थी। डाटा प्रविष्टि में गलतियों के कारण नाम और पतों की गलतियों को ठीक करने का कार्य नहीं किया जा रहा था।

2.48 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) की डाटा विस्तृत है और जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहां इन लेन-देनों मे नाम और पतों के मानकीकरण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (एनसीसी) पर नगर क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (आरसीसी) क्रॉस रैफरेन्स

2.49 आरसीसी और नगर क्रॉस संयोजन जो ऐसे लेन-देनों की अन्तिम मन्जिल निश्चित करने में उपयोगी है, को प्रणाली में अपनाया नहीं जा रहा था। इसी प्रकार प्रणाली में उपलब्ध अंतरित करने के विकल्प जो उन सभी लेन-देनों को जो विशिष्ट आरसीसी से संबंधित नहीं थे एनसीसी को विशिष्ट आरसीसी से संबंधित सभी लेन-देनों को एनसीसी से पुनः प्राप्त करने के लिए थे, उपयोग नही किए जा रहे थे।

2.50 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर, 2012) कि आरसीसी-नगर संयोजन की कार्यात्मकता प्रणाली में उपलब्ध है। डाटा को क्षेत्रीय सीआईबी यूनिटों द्वारा अद्यतन किया जाना है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए डाटा भण्डारण और विजनेस इन्टैलिजैन्स प्रोजेक्ट पर विचार किया जा रहा है।

पार्टी के नाम और पते के मानकीकरण के आधार पर लेन-देनों का संकलन ।

2.51 एआईएस मॉडयूल से इंटरफेस के माध्यम से नाम और स्थान के मानकीकरण से तीसरी पार्टियों से पैन के बिना प्राप्त लेन -देनों का नाम और पते के आधार पर संकलन के लिए उपलब्ध कार्यात्मकता का प्रयोग किया जा रहा था।

2.52 तीसरी पार्टियों से लेन-देन प्राप्त करने के बाद और उन मामलों में जहां पैन उपलब्ध नहीं हैं, वहां मानकीकृत नाम और पतें के आधार पर एकल स्थान पर एकल निर्धारिती से संबंधित सभी लेन-देनों को संकलित करके प्रणाली में पार्टियां बनाने का प्रावधान है। तथापि, हमने देखा सीआईबी मॉडयूल की कार्यात्मकता का उपयोग करते हुए निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान प्राप्त तीसरी पार्टी की सूचनाओं का प्रयोग करते हुए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी जिससे कर आधार को विस्तृत किया जा सके। इसी प्रकार, एक अलग पार्टी ढूंढ़ने के लिए प्रणाली में कार्यात्कमता और इससे लेन-देन के योजन, एक पार्टी से अधिक पार्टियों के साथ समान लेन-देन के योजन के संकल्प का भी निष्पादन नहीं किया जा रहा था। प्रत्येक गैर-मानकीकृत लेन-देन के लिए नई पार्टी को बनाने का कार्य भी नहीं किया गया था। पार्टियां न बनाने के कारण, तीसरी पार्टी से प्राप्त की गई सूचनाओं का उपयोग नहीं किया गया और इससे कम्प्यूट्रीकरण का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

केस बनाना

2.53 अवसीमा या बैंचमार्क के आधार पर केस बनाने और पूछ-ताछ पत्र प्रेषित करने के लिए उन्हें चिन्हित करने और एएसटी मॉडयूल के माध्यम से यह भी निश्चित करने के लिए कि जिस पार्टी का केस लिया गया है उसने रिटर्न फाईल की है या नहीं, इन के लिए कार्यात्मकता सीआईबी मॉडयूल में उपलब्ध है। तथापि, हमने पाया कि सीआईबी मॉडयूल से केस नहीं बनाये गए । निदेशालय ने कोई पूछताछ पत्र जारी नहीं किए थे। सीआईबी मॉडयूल का उपयोग करते हुए मामलों की अनुत्पत्ति के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में सूचनाओं का प्रयोग नहीं किया गया जिसके कारण इन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए कर आधार को विस्तृत करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इन सूचनाओं का प्रसार इसकी अन्तिम मन्जिल अर्थात संबंधित निर्धारण अधिकारी/रेंज तक नहीं पहुँच सका।

पैन के बिना प्राप्त हुई सूचनाओं का प्रयोग

2.54 प्राप्त की गई सूचनाओं के बड़े भाग का पैन के अभाव में उपयोग नहीं किया जा सका और आईटीडी द्वारा सीआईबी मॉडयूल की विभिन्न कार्यात्मकताओं का उपयोग करते हुए ऐसे मामलों को सुलझाने का कोई प्रत्यन नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में भी जहां आईटीडी ने सूचना सफलतापूर्वक प्रसारित कर दी थी, प्रणाली में सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मॉनीटरिंग नहीं की गई थी कि क्या ऐसे सभी मामलें, जहां सूचना संबंधित निर्धारण अधिकारी/रेंज को प्रषित कर दी गई थी उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। विभाग की सीआईबी मॉडयूल की विभिन्न कार्यात्मकताओं का उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई सूचनाओं के एक बड़े भाग का प्रयोग नहीं किया गया और वह प्रणाली में बन्द रहा जो संबंधित निर्धारण अधिकारी/रेंज प्रमुख को प्रसारित नहीं किया गया।

2.55 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान प्राप्त किए ₹ 2,830 हजार करोड़ मूल्य की कुल 2.69 करोड़ सूचनाओं में से ₹ 828 हज़ार करोड़ मूल्य की 0.71 करोड़ सूचनाऐं जो पैन के बिना प्राप्त हुई थी, लेन-देनों के संकलन न होने के कारण अनुपयोगी रही। इसके अतिरिक्त प्राप्त सूचनाओं के गैर-प्रयोग की प्रवृत्ति ने वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 के दौरान पूर्व वर्षों की तुलना में वृद्धि दर्शाई। अतः अन्य आईटीडी माडयूलों के साथ इन्टरफेस करके इन लेनदेनों को पैन के साथ गैर-मिलान के कारण आईटीडी इस सूचना को सीआईबी माडयूल के अन्तिम निष्कर्ष अर्थात आईटीएस रिपोर्ट तक उपयोग नहीं कर सका ताकि एओ द्वारा संवीक्षा निर्धारण के समय करदाता की अति व्यापक वित्तीय प्रोफाइल प्रस्तुत की जा सके।

2.56 इसके अतिरिक्त, सीआईबी माडयूल में प्रावधान है कि जहां संबद्ध एओ/रेंज को भेजी गई प्रत्येक मामले की प्रगति पर फीडबैक रिपोर्टों के सृजन के माध्यम से निगरानी रखी जा सकती है। तथापि, आईटीडी द्वारा ऐसी किन्हीं रिपोर्टों का सृजन नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार कर-आधार को गहन/व्यापक बनाने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सूचना के उपयोग को मानीटर करने के लिए सीआईबी माडयूल में उपलब्ध ज़रिया बिना उपयोग के रह गया।

2.57 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि विभाग का दृष्टिकोण नमूना आधार पर जांच-पड़ताल करने का था। तथापि, पूछ-ताछ, मांग की वूसली, सर्वेक्षण और खोज मामलों की पहचान के लिए 360 डिग्री प्रोफाइल उपलब्ध है।

सिफारिशें

2.58 हम सिफारिश करते हैं किः-

क. आईटीडी को सभी अनिवार्य तथा अनुमोदित वैकल्पिक स्रोत कोडों से सूचनाऐं एकत्र करनी चाहिए। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सूचनाऐं, उभरती प्राथमिकताओं के प्रति उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य तथा अनुमोदित वैकल्पिक स्रोतों से नीतिगत रूप से प्राप्त की जाती है। आईटीडी विभिन्न स्तरों पर मानवशक्ति की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है जिसके कारण कई प्रत्याशित नतीजों में गम्भीर बाधाएं आ रही हैं।

ख. सीआईबी/एनएसडीएल को समग्र संग्रहीत सूचनाऐं उसी वर्ष अपलोड करनी चाहिए ताकि इसे निर्धारण संवीक्षा में प्रयोग किया जा सके और सूचना को अपलोड करने में आने वाली बाधाओं को हटाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि आईटीडी ने समस्याओं को समाप्त करने और बिना बाधा के डाटा अपलोड करने के लिए सतत प्रयास किये। केन्द्रीय कार्य योजना 2012-13 में वित्तीय लेनदेनों को सीआईबी माडयूल में लाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य दिये गये हैं।

ग. आईटीडी को एक प्रणाली बनानी चाहिए जिससे एआईआर/सीआईबी के माध्यम से प्राप्त डाटा को फील्ड में प्रसारित करने से पहले उसकी शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। एआईआर में या आईटीडी द्वारा जारी नोटिसों के उत्तर में तथ्यतः गलत सूचनाऐं देने के लिए अधिनियम में शास्तिक प्रावधानों की आवश्यकता है। मंत्रालय ने सिफारिशें नोट की (दिसम्बर 2012) और विधायी परिवर्तन की वांछनीयता, यदि कोई हो, की जाँच करने के लिए सहमति व्यक्त की।

घ. गैर-एआईआर सूचना संग्रहीत करने में समस्याओं से बचने के लिए आईटीडी को वेब आधारित सूचना संग्रहण प्रणाली विकसित करने की व्यावहार्यता को आंकना चाहिए। इससे अनावश्यक और असंतुलित डाटा का ध्यान रखा जा सकेगा। मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि मुद्दा पहले ही सीबीडीटी के पास विचाराधीन है।

ड़. आईटीडी को भी एआईआर फाइल करने की प्रणाली की उपयोगिता और प्रभावकारिता को आंकने के लिए आन्तरिक समीक्षा शुरू करनी चाहिए। मंत्रालय ने सुझाव नोट किया और सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि सीबीडीटी ने समय-समय पर समिति/समितियां गठित की है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ माडयूल और विभिन्न रूपों में उसकी कार्यात्मकता की समीक्षा कर सके।

च. नियंत्रण तंत्र के रूप में आईटीडी को पूछताछ पत्र जारी करने तथा डीआईटी-सीआईबी को मामले वापस संदर्भित करने के लिए समय-सीमा निश्चित करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया सके कि पूछताछ पत्र एक विशिष्ट समय/तारिख को जारी किये जाते हैं और यदि पत्र बिना प्राप्ति के वापस आ जाये तो मामलें डीआईटी-सीआईबी को एक निश्चित समयावधि के भीतर भेजे जाते हैं ताकि इस कार्य-कलाप का प्रभावी मानीटरन किया जा सके। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि डीआईटी (आसूचना) द्वारा जारी पूछ-ताछ पत्रों को प्रणाली द्वारा बनाया गया था और वे 2012-13 कार्य-योजना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेजे गये थे। तथापि मानव संसाधन दबाव प्रत्याशित नतीजों के लिए समस्या पैदा करते हैं।

छ. आईटीडी को कर आधार को गहन और व्यापक बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विजनेस इन्टेलीजेंस टूल्स सहित एक प्रभावी तंत्र बनाना चाहिए ताकि आईटीडी और सूचनाऐं एकत्र और प्रदान करने वाली एजेंसी, दोनों के द्वारा उच्च लागत पर संग्रहीत सूचनाओं का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। मंत्रालय ने उत्तरदिया (दिसम्बर 2012) कि डीआईटीएस के द्वारा इन मुद्दों तथा संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए डाटा बेयर हाऊस से सम्बन्धित एक अलग परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव था। एक नया एप्लीकेसन अर्थात इन्कम टैक्स विजनेस एप्लीकेसन भी इस सुझाव का समाधान करेगा।

ज. आईटीडी, को सीआईबी माडयूल की उपलब्ध कार्यात्मकताओं का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि आईटी प्रौद्यौगिकियों के निरन्तर विकास से सीआईबी कार्यात्मकताओं में सुधार हो रहा हैं। प्रयास आगे भी जारी हैं।